

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 60/19 ता० रजु. 19-12-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 11-2-2020

सरकार

बनाम

श्रीमहिंद पुत्र बिरजू मीना सीदोली तह० बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का किरहरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम सीदोली के खसरा न० 378 रकवा 0-23 हैक्ट में से रकवा 0-03 हैक्ट किस्म चारागाह पर सम्वत् 2076 में श्री श्रीमहिंद पुत्र बिरजू मीना सीदोली तह० बयाना ने प्रकृत निगल बाड़ी कर अतिक्रमण कर लिया है।
बाल व बाड़ा

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 378 रकवा 0-03 हैक्ट वाके ग्राम सीदोली से बेदखल किया जाता है। लगान 0-48 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 24/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

